

# Order Sheet [Contd]

Case No. 7535 of 1983

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
-----------------------------	---	--

102/17

नेशनल मेगा लोक अदालत दिनांक 11.02.17 में प्रस्तुत।

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव।

फरियादी एवं आहत शैलेन्द्र एवं विकास उप0।

प्रकरण राजीनामा हेतु नियत है।

फरियादी व आहत शैलेन्द्र व विकास की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द0प्र0स0 राजीनामा हेतु अनुमति बाबत मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320-2 मय वृहद लोक अदालत आवेदन पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया। फरियादी एवं आहत की पहचान श्री धर्मेन्द्र पाण्डेय एवं अभियुक्तगण की पहचान अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा की गयी।

उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी एवं आहत ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दबाव, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अभियुक्तगण पर भादवि0 की धारा 341, 294, 323, 506 बी के अधीन दण्डनीय अभियोग पत्र पेश किया है। उक्त धारा का आरोप न्यायालय की अनुमति से फरियादी एवं आहत द्वारा शमनीय है। पीठ सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किए जाने की अनुशंसा की गयी। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 341, 294, 323, 506 बी भा0द0वि0 के अपराध आरोप से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण में जब्तशुदा डण्डा मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे।

आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदाय की जावे।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।

सदस्य

सदस्य

विकास कोकरस

सदस्य

मीनक्षि अधिकारी

मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

मायिक जिला सिण्ड 8000

लेटर

शैलेन्द्र श्रीवास्तव

यजवेन्द्र श्रीवास्तव

विकास उप0

राज्य द्वारा एडीपीओ

राज्य द्वारा एडीपीओ

राज्य द्वारा एडीपीओ